न्यायालय अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर(राजस्थान)

प्रकरण संख्याः– 10/2012 (धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975)

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

मोहनसिंह पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार निवासी भुसावर दरवाजा, कस्बा वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर।

अप्रार्थी

इस्तगासा अंतर्गत धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 विरूद्ध मोहनसिंह पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार निवासी भुसावर दरवाजा, कस्बा वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :

1. सहायक लोक अभियोजक।
2. श्री राजेश गोयल वकील अप्रार्थी।

दिनांक : 14.12.2017

निर्णय

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा यह इस्तगासा अंतर्गत धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 अप्रार्थी मोहनसिंह पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार निवासी भुसावर दरवाजा कस्बा वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर के विरूद्ध पत्र क्रमांक 2136 दिनांक 2.3.2012 के जरिये न्यायालय हाजा में प्रेषित किया गया है। अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत किये गये इस्तगासा में अंकित किया है कि अप्रार्थी मोहनसिंह पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार निवासी भुसावर दरवाजा, कस्बा वैर पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर का निवासी है जो एक बदमाश किस्म का व्यक्ति है एवं आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना हाजा पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय पेश हुये हैं तथा न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। यह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपराध कर आम जनता व समाज को

दूषित कर रहा है। अतः अप्रार्थी मोहनसिंह की उक्त गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने से इस शख्स के खिलाफ धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी के आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है–

क्र.	मु0न0	धारा	चार्जशीट नम्बर मय दिनांक	कोर्ट केस नम्बर	निर्णय कोर्ट
1	38 / 07	13 RPGO	CS NO. 20/25-3-07	82/07	जुर्माना 100 / रू0
2	105 / 07	13 RPGO	CS NO. 66/18-8-07	836/07	जुर्माना 100 / रू0
3	159 / 07	13 RPGO	CS NO. 98/20-11-07	94/07	
4	228 / 09	13 RPGO	CS NO. 137/31-12-09		जुर्माना 50 / रू0 2 दिन का कारावास
5	245 / 11	13 RPGO	CS NO. 130/27-12-11		जुर्माना 200 / रू0

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । साक्ष्य हेतु इस्तगासा में अंकित उपस्थित आये गवाहों के बयान दर्ज किये गये। नियत दिनांक 14.12.2017 को बहस समाअत की गई । एपीपी / वकील गैर सायल उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा पत्रांक 2136 दिनांक 23.2.2012 के जरिये प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी पर दायर वर्ष 2007–2011 में आरपीजीओ के 5 मुकदमों जिनका कि सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाकर चार मुकदमें में जुर्माना लगाया जाकर निर्णय किया गया है, अंकित करते हुये अप्रार्थी के खिलाफ गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश किया है। उपस्थित आये गवाहों के द्वारा इस्तगासा की ताईद करते हुये गैर सायल के विरूद्ध इस्तगासा में अंकित आरोपों की पुष्टि किया जाना स्वीकार किया है किन्तु अप्रार्थी के खिलाफ वर्तमान में या इस्तगासा में वर्णित मुकदमों के आलावा कोई अन्य मुकदमे दर्ज होने के बारे में जानकारी न होना व्यक्त किया गया। अदालत हाजा के समक्ष राजकीय पक्ष की ओर से भी इस बाबत कोई पुष्टि नहीं की गई है। जबकि अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व वादी पर ही रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 2007–2011 में गैर सायल के खिलाफ दायर एवं निर्णित मुकदमों के अलावा अन्य कोई नवीन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और न ही वर्तमान में कोई विचाराधीन है। यदि वर्तमान में गैर सायल के खिलाफ कोई नवीन प्रकरण दायर / विचाराधीन होता तो न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा सकता था। इसके अलावा थानाधिकारी पुलिस थाना वैर की रिपोर्ट दिनांक 25.11.2015 एवं 29.6.2016 में भी यह अंकित किया है कि उक्त प्रकरणों के अलावा अप्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है। जिसके साथ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संलग्न कस्बावासी एवं एसआई बीधाराम की जांच रिपोर्ट, चैयरमेन नगर पालिका वैर का चरित्र प्रमाण पत्र, नरेन्द्र कुमार 594 पी.एस. वैर की रिपोर्ट भी इस तथ्य की ताईद करती है कि वर्तमान में अप्रार्थी का चालचलन सही है। पुलिस थाना वैर की रिपोर्टों के अनुसार गैर सायल पर वर्ष 2007–2011 में दायर आरपीजीओ के निर्णित चार प्रकरणों के अलावा अन्य कोई प्रकरण गैर सायल के खिलाफ दर्ज होने बाबत तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश न किये जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान में आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। परिस्थितियां बदल गई हो सकती है, व्यक्ति की अपनी आदतों में परिवर्तन हो सकता है, और निरोध करने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम निरोधात्मक है न कि दण्डात्मक । इस प्रकरण में इस्तगासा में जो प्रकरण गैरसायल के खिलाफ अंकित किये गये है वे वर्ष 2007–2011 के है जिनका तत्समय ही समक्ष अदालत द्वारा निर्णय किया जा चुका है उनको आधार बनाया जाकर दिनांक 23.2.2012 को इस्तगासा पेश किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में अप्रार्थी के चालचलन बाबत ऐसा कोई तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उसके वर्तमान में भी आपराधिक प्रवृत्ति की निरन्तरता को माना जा सके। संबधित थाना वैर की रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न पत्रादियों से भी यह साबित होता है कि गैर सायल गत कई सालों से सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसी स्थिति में आज के हालातों को नजर–अंदाज करते हुये करीब 12–13 साल पुराने मुकदमों को आधार बनाया जाकर गैर सायल के विरूद्ध राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह इस्तागासा वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official